

(41)

[TO BE PUBLISHED IN GAZETTE OF INDIA, PART II SECTION 3(11)]

GOVERNMENT OF INDIA (BHARAT SARKAR)
MINISTRY OF HOME AFFAIRS (GRIH MANTRALAYA)

New Delhi, the 28th June, 1976.

NOTIFICATION

S.O. 2565 .- In pursuance of clause (1) of article 239 of the Constitution, the President hereby directs that the following amendment shall be made in the notification of the Government of India in the Ministry of Home Affairs No.S.O. 2123 dated the 29th April, 1976, namely:-

In the said notification, in clause (f), after the word, brackets and figure "sub-section (1)", the words, brackets and figure "and sub-section (3)" shall be inserted.

[No. U-11030/4/76-UTL]

(R.L. PRADEEP)
DIRECTOR.

To

The Manager,
Government of India Press,
Mayapuri Industrial Area,
Ring Road, NEW DELHI.

भारत के राजपत्र, भाग 2, खण्ड 3(i) में प्रकाशनार्थ

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 28 जून, 1976.

अधिसूचना

का० आ० 2123 तारीख 29 अप्रैल, 1976 में निम्नलिखित संशोधन किए जाएंगे, अर्थात् :-
राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 239 के खण्ड (i) के अनुसरण में निदेश देते हैं कि भारत सरकार के गृह मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० आ० 2123 तारीख 29 अप्रैल, 1976 में निम्नलिखित संशोधन किए जाएंगे, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में खण्ड (च) में उपधारा (i) शब्द, कोष्ठक और अंक के पश्चात् और उपधारा (3) शब्द, कोष्ठक और अंक अन्तःस्थापित किए जाएंगे।

(सं० यू०-110 301 41 76-यू० टी० स्ल०)

3 3 2000
(आ० स्ल० परदीप)

निदेशक

सेवा में

प्रबन्धक,
भारत सरकार मुद्रणालय,
मायापुरी औद्योगिक क्षेत्र,
रिंग रोड, नई दिल्ली।